



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निर्णय संख्या : 1960 / 2006.....

जिला : जयपुर.

मैसर्स दी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड (वर्तमान में आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड), सरदार पटेल मार्ग, सी -स्कीम, जयपुर बनाम अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2016	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री ओ.पी.सैनी, अध्यक्ष</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के श्री रामअवतार शर्मा, लीगल मैनेजर,आई सी आई सी बैंक, एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित ।</p> <p>प्रार्थी के लीगल मैनेजर श्री रामअवतार ने विद्वान करने के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2016 को प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी के लीगल मैनेजर ने निवेदन किया कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही एमेनेस्टी स्कीम, 2016 के तहत छूट का लाभ लेने हेतु विचाराधीन निगरानी को आगे नहीं चलाकर विद्वान करना चाहता है। अतः उक्त निगरानी को विद्वान किये जाने की अनुमति प्रदान करावें।</p> <p>विभागीय पैरोकार ने निगरानी विद्वान किये जाने सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं किया ।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी जरिए मैनेजर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जरिये विद्वान निगरानी खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (सुनील शर्मा) सदस्य                 </div> <div style="text-align: center;">  (ओ.पी.सैनी) अध्यक्ष                 </div> </div>	